(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2174-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-04-2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, भोपाल प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2015-16

रामनारायण आत्मज कालूराम
निवासी ग्राम श्यामपुर, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

बालाप्रसाद गौर आत्मज घनश्याम गौर,
निवासी ग्राम लाम्बाखेड़ा, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र. ....अनावेदक

श्री बी.एल.अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 20-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, भोपाल के समक्ष ग्राम श्यामपुर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 46/1/2, 46/2 व 47 कुल रकबा 0.280 हेक्टयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अंतर्गत नायब तहसीलदार हुजूर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व् निरीक्षक वृत्त 2 तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2015-

16 दर्ज कर दिनांक 20-04-2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 06-04-2016 को मौके पर जाकर किसी प्रकार का कोई सीमांकन नहीं किया गया है एवं ना ही उक्त दिनांक को या अन्य कभी उक्त सीमांकन कार्य हेतु किसी भी मेड़ पड़ोसी को सूचना पत्र दिया गया है । उक्त सीमांकन की कागजी कार्यवाही मौके पर ना की जाकर अन्यत्र किसी अन्य स्थल पर की गई है, जो कि विधि प्रक्रिया के विरूद्ध है, इसलिये दिनांक 06-04-2016 के सीमांकन एवं सीमांकन स्वीकृति दिनांक 20-04-2016 को निरस्त किया जावे ।
2. उक्त प्रकरण में कोई भी सूचना पत्र किसी मेड़ पड़ोसी को नहीं दिये गये हैं, ना ही तामील कराये गये है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना पत्र प्रकरण में संलग्न है उसके निचले भाग पर राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं टीप अंकित की गई कि दिनांक 06-04-2016 का सीमांकन दिनांक 13-04-2016 को किया जावेगा, तब दिनांक 06-04-2016 का राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संदेहास्पद है एवं इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यह कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं, जिनका उक्त मौका स्थल या सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है । अत: दिनांक 06-04-2016 को सीमांकन होना प्रमाणित न पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 का प्रकरण निरस्त किया गया ।
3. विशेष बात यह है कि आवेदक एवं अनावेदक की भूमि के बीच में शासकीय भूमि एवं रास्ता है तब आवेदक की भूमि में सीमांकन के दौरान अनावेदक का कब्जा निकल ही नहीं सकता, इस बात की जांच भी राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इसी प्रकरण में विचाराधीन प्रकरण में प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 06-04-2016 को मेरे द्वारा सीमांकन नहीं किया गया ।
4. सीमांकन के दौरान कथित पंचनामें मे ओव्हर राईटिंग कर काट छांट की गई है, जिसमें रकबा काटकर पुन: लिखा गया है । उक्त कार्यवाही में मौके पर खेतों में सारे दस्तावेज फील्ड बुक, पंचनामा, नक्शा हाथों से तैयार किये जाते है, परन्तु प्रकरण में संलग्न

फील्ड बुक नक्शा मशीन से बना हुआ संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन कार्यवाही मौके पर न की जाकर अन्यत्र की गई है इसलिये सीमांकन निरस्ती योग्य है ।

5. उक्त प्रकरण में सारी कार्यवाही के पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन बनाया जाता है वह प्रतिवेदन भी प्रकरण में संलग्न नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विरूद्ध है, जिसका विधि में कोई स्थान नहीं है, इसलिये उक्त सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये अधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर, उपस्थित पंचों के समक्ष टी.एस.एम. मशीन से सीमांकन किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर हैं । जहां तक सीमांकन पंचनामा में काट-छांट किये जाने का प्रश्न है, सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि जिस स्थान पर काट-छांट की गई है, वहां पर राजस्व निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये हैं, इसलिए उसे संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है । सीमांकन में अन्य व्यक्तियों के भी कब्जे पाये गये हैं, परन्तु उनके द्वारा सीमांकन को चुनौती नहीं दी है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 20-04-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर